

फर्ट अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडागीम (करौली)

सम मुकदमा जाना बनाम जिला कलेक्टर नं. 116 सन 2007

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13¹⁰ 9. पत्नीय वादी की सुरेण चंद अमा
न दावा धारा 88, 188 के तहत वेरा
किया गया। रिपोर्ट क तयगत मि
गया। दावा दर्द पंजि कर प्रविष्टी
गण क समा समन जारी कर दिनांक
17.11.07 के मंगल को

उपजिला कलेक्टर
तोडागीम (करौली)


17¹¹ 10 अज्ञात पेश ही P.O मय इनिशियल्स
~~किया गया। रिपोर्ट क तयगत मि~~
गोलीक जारी नही कि अप तप अप
जाकर दिनांक 01/12/07 के मंगल को


0-22
11-09
अज्ञात
क
सा
म


8/12 11-09 पञ्जाबली पेश कुंडी प्रविष्टी गण सं०
1 से 10 तथा 12 से 24 क समन वा 13 मार्च को
प्राप्त। प्रविष्टी सं० 11 मार्च को प्रविष्टी का सिफ्ट
अनुसार कोल कोला वगैरह) समन को फलान के
प्रविष्टी नं० 2, 4, 13, 18, 22 मय उपस्थित।
वार एसो डर) डावा अज्ञात कार्य प्रविष्टी
रचना गया। वारो अज्ञात सुनवाई प्रविष्टी
दि 7/11/08 को पेश को


न्यायालय उप जिला कलेक्टर दोर

फर्द अहकाम

दिनांक 23-3-17 कादी वकील - उपस्थित। प्रतिवादी नं 9/3 का सम्मन भरखा के साथ कले के लिफ्ट दिना याहि समाया की छति दिनांक 23-3-17 को पेश हो 

2331) कादी वकील उप/ प्रतिवादी नं. 9/3 का सम्मन समाया पत्र मे प्रकाशन नही कएवागए छी कादी वकील को रिदापत की जाती है कि एब कतिम मौर दिपा जाता छी आगामी बुधवार रिपी पा समाया पत्र मे प्रकाशन कएवा समाया पत्र की छति उलुत नही की जाती छे ते भविष्यमे सम्मन नही दिपा गयेगा तथा प्रकाश निस्साल दिपा जायेगा पत्रारही दि 17-4-17 को पेश हो 

17-4-17 वकालत उपस्थित/पीठासन अधिकारी जियसु है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 18-4-17 को पेश हो 

18-4-17 पत्रावली पेश हुई कोर्ट उपस्थित नही। कोर्ट का आवाज दिलाई गई कि कोर्ट कादी वकील एवं कादीगण से कोर्ट उपस्थित नही छी इतः यह दावा इदम हाजिरी एवं इदम खेरी में खारिज दिपा जात छी पत्रावली फिल्ल शुभ होत नखेट से कम हो कए दाखिल दफ्त हो 

उप जिला कलेक्टर
दोरा (कौशी)